न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 27/2018

श्रीमती गिन्दोडी उर्फ गिन्दो पुत्री स्व. चन्दाराम पत्नि स्व. बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल आबाद खटोटी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. हेमराज पुत्र केशरा
3. छीतर पुत्र केशरा
4. तेताराम पुत्र केशरा (फौत)
   - 4/1 बनारसी पत्नी स्व. तोताराम
   - 4/2 बलबीर पुत्र स्व. तोताराम (फौत)
   - 4/3 हीरालाल पुत्र स्व. तोताराम
   - 4/4 रामसिंह पुत्र स्व. तोताराम
   - 4/5 हरदान पुत्र स्व. तोताराम
   - 4/6 मेंवा पुत्री स्व. तोताराम
5. सांवल पुत्र गोविन्दा
6. छाजूराम पुत्र गोविन्दा (फौत)
   - 6/1 भगवती पत्नी स्व. छाजूराम
   - 6/2 शिशराम पुत्र स्व. छाजूराम
   - 6/3 रोहिताश पुत्र स्व. छाजूराम
   - 6/4 विमला पुत्री स्व. छाजूराम
   - 6/5 कोयली पुत्री स्व. छाजूराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 553 दिनांक 18/10/2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 31-3-2022

अपीलान्ट ने जरिये वकील नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के विरूद्व उक्त नामा. से व्यथित होकर अपील पेश की है जो अपीलान्ट द्वारा निम्नभांति पेश की हैं :–

1. यह है कि हाल आराजी ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्ट का दादा श्योकरण पुत्र सोहन था उसकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट का पिता चन्दाराम उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 पर काबिज काश्त हुआ तथा चन्दाराम की मृत्यु के बाद उसकी एक मात्र वारिस अपीलान्ट उक्त आराजी

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

के हिस्सा 1/4 पर अपने पिता के फुट स्टेप पर काबिज काश्त हुयी और आज भी 1/4 पर मौके पर काबिज काश्त है।

2. यह है कि मातादीन पुत्र नानूराम गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने अपीलान्ट के पिता चन्दाराम की सम्पत्ति की फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 21/4/1994 को तैयार करवा ली तथा उक्त कूटरचित एवं फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के दादा श्योकरण पुत्र सोहन का हिस्सा 1/4 की आराजी का नामा.सं. 434 दिनांक 05/7/2006 को अपने नाम खुलवा लिया।

3. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 व उसकी माता प्रभाती पत्नी के द्वारा ने एक दावा ब उनवानी मु. प्रभाती वगैरह बनाम जयमल वगैरह मुकदमा नम्बर 62/2005 दावा बाबत इस्तकरारहक हुकम इश्तनाई व तकास्मा का न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां पेश किया जिसमें वादीगण प्रभाती वगैरह ने श्योकरण पुत्र सोहन के वारिसान अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया और ना ही मातादीन पुत्र नानूराम को पक्षकार बनाया और प्रभाती वगैरह ने दावा अपने हक में दिनांक 06/10/2010 को डिक्री करवा लिया ओर डिक्री के आधार पर सम्पूर्ण आराजी का नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 को अपने नाम खुलवा लिया जबकि उक्त आराजी में अपीलान्ट का भी 1/4 हिस्सा है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली का निर्णय व डिक्री दिनांक 06/10/2010 से भी अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित नहीं होते है।

4. यह है कि मातादीन पुत्र नानूराम द्वारा अपीलान्टस् के पिता चन्दाराम पुत्र श्योकरण से फर्जी व कूटरचित करायी गयी वसीयत को निरस्त करवाने बाबत अपीलान्ट ने एक दावा व उनवानी श्रीमती गिन्दोडी देवी बनाम मातादीन वगैरह दावा संख्या 78/2006 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. कोटपूतली के यहां पेश किया जिसमें दिनांक 10/01/2017 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुये तथाकथित फर्जी वसीयत दिनांक 21/4/1994 को निरस्त फरमा दिया है तथा अपीलान्टस को चन्दाराम पुत्र श्योकरण की सम्पत्ति का मालिक माना है। ऐसी स्थिती में तथाकथित वसीयत दिनांक 21/4/1994 अपीलान्टस् के अधिकारों पर शुरू से ही नल एण्ड वाईड है शून्य एवं बेअसर है।

5. यह -है कि अपीलान्ट को नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 के बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी अब अपीलान्ट ने आराजी की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 द्वारा अपने हक में कराये गये नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 के बाबत जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्ट ने नामा. की नकल प्राप्त की ओर अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील माननोय न्यायालय में पेश की है फिर भी अपील पेश करने में देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है।

6. यह है कि अब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 के आधार पर विवादित आराजी ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान) को दीगर लोगों को बेचान करने अपीलान्ट को आराजी से बेदखल करने कब्जाकाश्त में मजाहमत करने भूमि का मुआवजा प्राप्त करने पर उतारू है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है।

7. यह है कि अपील में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हासिल है तथा अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत आराजी ख.नं. 245/0.48,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

246/0.46 वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

8. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट एवं उनके वारीसान की ओर से श्री मुरारीलाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित आयें।

9. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि आराजी हाल ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट का दादा श्योकरण पुत्र सोहन था उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र चन्दाराम पुत्र श्योकरण 1/4 हिस्से पर काबिज हुआ। चन्दाराम की मृत्यु के बाद उसकी एक मात्र वारिस अपीलान्ट अपने पिता के फुट स्टेप पर काबिज काश्त हुयी, जो आज भी 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। मातादीन पुत्र नानूराम गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट के पिता चन्दाराम की सम्पत्ति की फर्जी वसीयत दिनांक 21/4/1994 को तैयार करा ली ओर अपीलान्ट के दादा की 1/4 हिस्से की भूमि का नामा.सं. 434 दिनांक 05/7/2006 को अपने नाम खुलवा लिया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 व उनकी माता प्रभाती पत्नी केशरा द्वारा मु.नं. 62/2005 प्रभाती वगैरह बनाम जयमल वगैरह इस्तकरार हक व तकास्मा का दावा न्यायालय एसीएम के यहां पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया ना ही मातादीन पुत्र नानूराम को पक्षकार बनाया गया जिसमें वादीगण् द्वारा अपने हक में डिक्री जारी करा ली गयी। उक्त डिक्री दिनांक 06/10/2010 के आधार पर नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 को खुलवा लिया, जिसमें अपीलान्ट का भी 1/4 हिस्सा है। अपीलान्ट ने एक दावा श्रीमती गिन्दोडी देवी बनाम मातादीन वगैरह माननीय सिविल न्यायालय क.ख के यहां मु.नं. 78/2006 गिन्दोडी बनाम मातादीन का पेश किया जिससे सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर फर्जी वसीयत 21/4/1994 को निरस्त करने के आदेश फरमाये। ऐसी स्थिती में तथाकथित वसीयत 21/4/1994 अपीलान्ट के अधिकारों पर शुरू से ही नल एण्ड वाईड है तथा शून्य एवं बेअसर है। इसलिए अपीलाधीन नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2020 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट को आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

10. वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गयी । वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा मु.नं. 62/2005 ब उनवान मु0 प्रभाती वगैरह बनाम जयमल वगैरह में दिनांक 06/10/2010 निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गयी है जिसके आधार पर नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2020 को वादी ने अपने नाम स्वीकार कराया है। उक्त नामा. डिक्री के आधार पर भरा जाकर स्वीकार हुआ है। इसलिए श्रीमान् न्यायालय को उक्त नामा. खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। डिक्री आदेश की अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय से अपील करनी चाहिए थी। श्रीमान् न्यायालय से नामा. खारिज करने का अनुतोष अपीलान्ट को दिया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं है अपील एवं क्षेत्राधिकार बहार होने से अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमायी जावें।

11. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर मनन किया तथा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर पाया कि विवादित ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 कुल किता 2 रकबा 0.94 है0 का नामा0सं0

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

553 डिक्री आदेश सहायक कलक्टर के यहां निर्णित वाद संख्या 62/05 में पारित निर्णय 06/10/2010 व तहसीलदार के आदेश कमांक/भू.अ./10/2375 दिनांक 14/10/2010 की पालना में भरा जाना पाया गया। उक्त नामा. आई.एल.आर की रिपोर्ट होकर नायब तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 18/10/2010 को स्वीकार किया है। मातादीन पुत्र नानूराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नामा.सं. 553 के कालम संख्या 7 में दर्ज है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि उक्त विवादित ख.नं. बाबत सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां से वाद संख्या 62/05 में दिनांक 06/10/2010 को डिक्री पारित हुयी है जिसमें ना तो अपीलान्ट को पक्षकार बनाया है और-ना ही फर्जी तरिके से करायी गयी वसीयत ग्रहिता मातादीन को पक्षकार बनाया है जबकि अपीलान्ट अपने पिता की एक मात्र वारिस है जिसका हिस्सा 1/4 उक्त भूमि में है। अपीलान्ट के पिता चन्दाराम की सम्पत्ति की मातादीन द्वारा फर्जी तरिके से वसीययत अपने पक्ष में दिनांक 21/4/94 को करायी गयी थी वह सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गयी इससे स्पष्ट होता है कि मातादीन पुत्र नानूराम का उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं बनता है। केवल मात्र अपीलान्ट का ही उक्त आराजी में 1/4 हक अधिकार बनता है। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां मु.नं. 62/2005 में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हुये है एवं अपीलान्ट खातेदारी अधिकारों से वंचित रही है जबकि पिता की सम्पत्ति पर पुत्री को समान अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट अपने पिता की एक मात्र वारिस है जिन्होंने सिविल न्यायालय में दावा पेश कर फर्जी तरिके से करायी गयी वसियत को दिनांक 10/01/2017 को खारिज करायी गयी। इसलिए पिता के हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट का हक और अधिकार है। इसलिए उक्त नामा. 553 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा 18/10/2010 को स्वीकार किया है वह विधि अनुरूप नहीं है। क्योंकि उक्त नामा. से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। यानि अपीलान्ट पिता की भूमि के फुट स्टेप से आई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से वंचित रही है। इसलिए उक्त नामा. को खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा.सं. 553 वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली 18/10/2010 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि अपील में वर्णित ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 के ग्राम मलपुरा तसील कोटपूतली में अपीलान्ट का नाम रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा दर्ज करें।

13. यह निर्णय आज दिनांक 31.3.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)